(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, केन्द्र-ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- /2003 निगरानी— 1133-III/2003

1. सोहनबाई विधवा रामलाल
2. शानुबाई पुत्री रामलाल, उम्र-12 वर्ष
3. रूगनाथ पुत्र रामलाल, उम्र-10 वर्ष
4. ईश्वरलाल पुत्र रामलाल, उम्र-8 वर्ष

तीनों अवयस्क हैं द्वारा संरक्षक वाद मित्र माता सोहनबाई विधवा रामलाल,
निवासी-ग्राम-हरियाखेड़ी, तहसील-जावरा,
जिला-रतलाम ——

5. रूक्मणीबाई विधवा रामचन्द्र, आयु-70 वर्ष,
निवासी-ग्राम-रानीगाँव, तहसील-जावरा
जिला-रतलाम ---आवेदकगण

विरूद्ध

हीरालाल आत्मज भेरूलाल कुल्मी,
निवासी-ग्राम-हरियाखेड़ी, तहसील-जावरा,
जिला-रतलाम ---अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 भू.रा.स.

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधिनस्थ योग्य न्यायालय, अपर कलेक्टर, रतलाम के आदेश दिनांक-7-6-2003 प्रकरण क्रमांक-26/99-2000 निगरानी से असंतुष्ट एवं दुखीत होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते हैं।

1. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैन अवधि निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी रेकार्ड पर लिये बगैर मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटी की हैं।

सोहन बाई / हीरालाल

XXIX(a)-BR(H)-11

(26)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(29)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1133 / III-103 जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर रतलाम के प्रकरण क्रमांक 26/99/2000/नि. में पारित आदेश दिनांक 7.6.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	